अंतिम डिक्री व मुकदमें इब्तदाई

(आर्डर 20, रूल 6–7, जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code, Appendix 'D' - 1)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ, सीकर

इजलास अशोक कुमार, आर.ए.एस

नाथी देवी बनाम गोपीनाथ आदि

दावा बाबत उद्घोषणा, निरस्त किये जाने नामांतरण सं0 234 दिनांक 16.03.1968 एवं स्थायी निषेधाज्ञा प्रसारणार्थ

मुकदमा नं0 40/दावा सन् 2017 निर्णय दिनांक. 13.08.2019

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू **अशोक कुमार आर.ए.एस** बहाजरी **श्री सुरेन्द्र सिंह विश्राम** मिनजानिब मुद्दई पेश होकर हुकम दिया जाता है, कि वाद वादीया विरूद्ध प्रतिवादीगण डिक्री किया जाकर नामांतरण संख्या 234 दिनांकित 16.03.1968 बतस्दीक ग्राम पंचायत पचार निरस्त किया जाता है तथा वादीया को विवादित भूमि खसरा नम्बर 2118 रकबा 0.06 हैक्टर, खसरा नम्बर 2122 रकबा 0.05 हैक्टर, खसरा नम्बर 2123 रकबा 2.56 हैक्टर, खसरा नम्बर 2130 रकबा 0.09 हैक्टर, खसरा नम्बर 2161 रकबा 0.11 हैक्टर किता 5 कुल रकबा 2.87 हैक्टर वाके ग्राम पचार तहसील दांतारामगढ जिला सीकर में प्रतिवादी संख्या 1 गोपीनाथ पुत्र महाबक्स का हिस्सा 1/4 में सें 1/2 अर्थात् कुल में सें 1/8 हिस्से की खातेदार काश्तकार उद्घोषित किया जाता है तथा प्रतिवादीगणों को इस आशय की स्थायी निषेधाज्ञा सें प्रतिबंधित किया जाता है कि वादीया के 1/8 हक हिस्से सें बेदखल करने, हस्तांतरण करने, अन्य कसी भी रूप सें खुर्दबुर्द करने आदि सें बाज रहे।

उपरोक्तानुसार अंतिम डिक्री जारी किये जाने के आदेश दिये जाते है तदनुसार राजस्व अभिलेख में अमल दरामद हेतु तहसीलदार दांतारामगढ को तहरीर जारी हो।

बीज ..... मुबलिग ..... बाबत ..... खर्चा इस मुकदमे के मय शूद व शरह ..... फीसदी सालाना आज की तारीख में तारीख वसूलयाबी तक ..... को अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 13.08.2019 को जारी की गई।

उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ

Scanned by CamScanner

मोहर

दस्तखत ओहदा

मुददई	रूपया	पैसे	मुदायलह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	6	00	स्टाम्प वकालतनामा	1	00
स्टाम्प वकालतनामा	1	00	स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत	–	–	मेहनताना वकील पर ...		
मेहनताना वकील	–	–	खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान	–	–	फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर	–	–	बाबत इजराय हुक्मनामा		
बाबत इजराय हुक्मनामा	–	–	मुतफर्रिक	0	00
मुतफर्रिक	8	00		0	00
मीजान	15	00	मीजान	1	00

नोट: इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिकरी के जरिये दिलाया गया हो, या नहीं, दर्ज करना चाहिए।

(अशोक कुमार)
उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ

Scanned by CamScanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ जिला सीकर

बइजलास अशोक कुमार, आरएएस

प्रकरण संख्याः–40/2017/दावा

1. नाथीदेवी उर्फ अनिता पुत्री महाबक्स पत्नि घीसालाल जाति पारीक निवासिनी मु.पो. पचार तहसील दांतारामगढ जिला सीकर हाल ससुरा मु. पो. धोद, पारीकों का मोहल्ला, तहसील धोद जिला सीकर।

बनाम

1. गोपीनाथ पुत्र महाबक्स जाति पुरोहित निवासी मु.पो. पचार तहसील दांतारामगढ जिला सीकर हाल आबाद प्लाट नम्बर 21, रामेश्वर धाम, मुरलीपुरा जयपुर।
2. उप–पंजीयन अधिकारी, दांतारामगढ जिला सीकर।
3. तहसीलदार, तहसील दांतारामगढ जिला सीकर।
4. ग्राम पंचायत पचार, जरिये सरपंच, ग्राम पंचायत कार्यालय पचार तहसील दांतारामगढ जिला सीकर।

दावा बाबत उद्घोषणा, निरस्त किये जाने नामांतरण सं0 234 दिनांक 16.03.1968 एवं स्थायी निषेधाज्ञा प्रसारणार्थ

उपस्थितिः

1. श्री सुरेन्द्र सिंह विश्राम वकील वादीया की ओर सें।

निर्णय **दिनांक 13.08.2019**

1. वाद में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार सें है कि कृषि भूमि खसरा नम्बर 2118 रकबा 0.06 हैक्टर, खसरा नम्बर 2122 रकबा 0.05 हैक्टर, खसरा नम्बर 2123 रकबा 2.56 हैक्टर, खसरा नम्बर 2130 रकबा 0.09 हैक्टर, खसरा नम्बर 2161 रकबा 0.11 हैक्टर किता 5 कुल रकबा 2.87 हैक्टर वाके ग्राम पचार तहसील दांतारामगढ जिला सीकर में अवस्थित है जिसके पुराने खसरा नम्बर 747, 744, 743, 745, 746, 729, 955 है। उक्त वर्णित कृषि भूमि में वादीया का हिस्सा 1/8 है एवं प्रतिवादी सं0 1 का 1/8 हक हिस्सा है एवं उक्तानुसर कब्जा काश्त है। उक्त भूमियों के पूर्व खातेदार मृतक महाबक्स के एक मात्र वादीया ही पुत्री है परन्तु प्रतिवादी सं0 2 को पुत्र नहीं होने पर अपने जीवनकाल में दत्तकपुत्र ले लिया था। उक्त वर्णित भूमि पैतृक होने सें वादीया का महाबक्स के हिस्से 1/4 में 1/8 एवं प्रतिवादी सं0 1 का 1/8 हक हिस्सा है, परन्तु प्रतिवादी सं0 1 बहुत ही चालाक एवं चतुर व्यक्ति है तथा वादीया एक अनपढ ग्रामीण पर्दाशीन महिला होने

Scanned by CamScanner

का फायदा उठाते हुए मृतक महाबक्स की सम्पदा का अकेले ही नामांतरण सं0 234 दिनांकित 16.03.1968 अपने नाम सें प्रतिवादी सं0 4 सें मिलीभगत करके तस्दीक करवा लिया जो कि गलत रूप सें तस्दीक किया हुआ होने से उक्त नामांतरण सं0 234 दिनांक 16.03.1968 मृतक महाबक्स के विरासत का तस्दीक हुआ तक निरस्त किये जाने योग्य है। उक्त नामांतरण निम्न कारणों सें निरस्त किये जाने योग्य है– 1. उक्त नामांतरण विधिविरूद्ध कानूनन होने सें स्व. महाबक्स के विरासत तक खारिज होने योग्य है। 2. उक्त वर्णित नामांतरण स्व. महाबक्स की विरासत का तस्दीक किये जाने सें पूर्व उनके वैद्य वारिसान की जांच के बिना तस्दीक किया गया इस कारण भी स्व. महाबक्स के विरासत तक खारिज किया जाने योग्य है। 3. महाबक्स की विरासत का नामांतरण तस्दीक किये जाने सें पूर्व कब्जे की जांच नहीं कर सीधा ही नामान्तरण तस्दीक किया गया, इस कारण भी मृतक महाबक्स की विरासत तक निरस्त किये जाने योग्य है। 4. मृतक महाबक्स की विरासत का नामान्तरण तस्दीक करने सें पूर्व मृतक के वैद्य उत्तराधिकारीगण को नोटिस नहीं दिया गया इस कारण भी नामान्तरण खारिज होने योग्य है।

2. वादपत्र पेश होने पर प्रतिवादीगणों को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 की ओर सें वकील श्री रेखराज पारीक हाजिर आये लेकिन हिदायत पैरवी नहीं होना जाहिर किया अतः प्रतिवादी संख्या 1 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने पर इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

3. बहरा एकपक्षीय सुनी गई। दौराने बहस वकील वादीया ने वादपत्र के तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि विवादित भूमियों के खातेदार महाबक्स की मृत्यु पर विरासत का भरा गया नामांतरण निरस्त किया जावे तथा विवादित भूमियों में वादीया को महाबक्स की पुत्री होने के कारण उनके खातेदारी हक हिस्सा 1/4 में सें 1/2 अर्थात् 1/8 हिस्से की खातेदार काश्तकार उद्घोषित की जावे तथा अपने हिस्से में प्रतिवादी संख्या 1 को स्थायी निषेधाज्ञा सें प्रतिबंधित फरमाया जावे कि वादीया के हक हिस्से सें बेदखल करने, हस्तांतरण करने, अन्य कसी भी रूप सें खुर्दबुर्द करने सें पाबंद किया जावे।

4. बहस विद्वान अधिवक्ता वादीया पर मनन किया एवं पत्रावली व उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। वादीया की ओर सें पेश दस्तावेजों सें स्पष्ट है कि वादीया नाथीदेवी महाबक्स की पुत्री है तथा ग्राम पंचायत पचार द्वारा भरा गया नामांतरण संख्या 234

उपखण्ड अधिकारी दांतारामगढ़

Scanned by CamScanner

दिनांकित 16.03.1968 में मृतक महाबक्स के दत्तक पुत्र गोपीनाथ के नाम सें तस्दीक किया जबकि महाबक्स की विरासत में उसकी पुत्री नाथीदेवी का भी हक हिस्सा निहित है अतः स्पष्ट है कि उक्त नामांतरण निरस्त किये जाने योग्य है। अतः वादीया के हित निहित को देखते हुए वाद वादीया डिक्री किया जाकर उक्त नामांतरण संख्या 234 दिनांकित 16.03.1968 निरस्त किया जाता है तथा वादीया को विवादित भूमि खसरा नम्बर 2118 रकबा 0.06 हैक्टर, खसरा नम्बर 2122 रकबा 0.05 हैक्टर, खसरा नम्बर 2123 रकबा 2.56 हैक्टर, खसरा नम्बर 2130 रकबा 0.09 हैक्टर, खसरा नम्बर 2161 रकबा 0.11 हैक्टर किता 5 कुल रकबा 2.87 हैक्टर वाके ग्राम पचार तहसील दांतारामगढ जिला सीकर में प्रतिवादी संख्या 1 गोपीनाथ पुत्र महाबक्स के हिस्से 1/4 में सें 1/2 अर्थात् कुल में सें 1/8 हिस्से की खातेदार काश्तकार उद्घोषित किया जाता है तथा प्रतिवादीगणों को इस आशय की स्थायी निषेधाज्ञा सें प्रतिबंधित किया जाता है कि वादीया के 1/8 हक हिस्से सें बेदखल करने, हस्तांतरण करने, अन्य कसी भी रूप सें खुर्दबुर्द करने आदि सें बाज रहे। डिक्री पर्चा जारी हो। तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद हेतु तहसीलदार दांतारामगढ को तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर सें कम व दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 13.08.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अशोक कुमार)
उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ

Scanned by CamScanner